न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 16/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. दयाराम पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम नांगलखोडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

:----- अपीलांट

बनाम

1 सुबेराम उर्फ सुबेसिंह पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम नांगलखोडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

:--- असल रेस्पो0

2 रोहिताश पुत्र रघुवीर

3 उदयसिंह पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी नांगलखोडिया तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

4 कृष्णा देवी पुत्री रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम नांगलखोडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

5 मु0 शांतिदेवी पत्नि स्व0 रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम नांगलखोडिया तहसील बहरोड जिला अलवर (मृतक)

6 सम्पत पुत्र श्योसहाय

7 लाली पुत्री श्योसहाय

8 धनसी पुत्र चैना

9 श्रीराम पुत्र चैना

10 बबूलाल पुत्र चैना जाति अहीर निवासी ग्राम नांगलखोडिया तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

11 उप पंजीयक बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर

12 लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड जिला अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

:------ तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,

बहरोड दिनांक 25.1.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक 17.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 166/12 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी सुबेराम ने तहत अदालत में आराजी खसरा नम्बर 39, 1435, 741, 745, 251, 420, 421, 422, 745, 747, 751, 754, 755, 756, 757, 760, 987, 1124, 1135, 1252/1483, 1431, 62, 674, 710, 727, 744, 746, 749, 750, 759 वाके ग्राम नांगलखोडिया तहसील बहरोड की तकसीम का दावा प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन निर्णय द्वारा अंतिम तौर पर डिक्री किया गया था, जिसकी यह अपील प्रतिवादी दयाराम ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत ने कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित नहीं की है। जिस पक्षकार का जहां कब्जा था, उस स्थान पर उस पक्षकार को भूमि नहीं दी गई है । अंतिम डिक्री में भूमि का विभाजन भी समान रूप से नहीं किया गया है । किसी को ज्यादा तो किसी को भूमि दी गई है । अपीलांट को कम भूमि दी गई है, उस कमी को अपीलांट को भूमि देकर नहीं की गई है । अपीलांट के हिस्से में जो भूमि आई है, उसमें से ही रास्ता कायम कर दिया । खसरा नम्बर 674 कुर्रे रिपोर्ट में है, परन्तु यह नम्बर डिक्री में नहीं है। जो खसरा नम्बर दयाराम में डिक्री में दिया गया है, वे कुर्रे रिपोर्ट में नहीं है । खसरा नम्बर 744 का रकबा कम दिखाया गया है । इसी प्रकार अन्य नम्बरों की बाबत भी कुर्रे रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री पारित नहीं की है । डिक्री में कुर्रे रिपोर्ट की दिनांक 10.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4.17 अंकित है, जबकि पत्रावली में दिनांक 6.4.17 की रिपोर्ट है । अंतिम डिक्री से पहले आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है ।अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 6. 4.17 की है और अंतिम डिक्री भी कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 6.4.17 के आधार पर ही पारित की गई है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व इनकी आपत्तियों का निराकरण किया गया है । खसरा नम्बर 744 मैन रोड पर है, जो अपीलांट को दिया गया है । डेढ एयर रकबा इनको कम इसलिये मिला है कि इनको मैंन रोड पर भूमि दी गई है । विभाजन के नियमों का पूर्णतया पालन किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । अपीलांट का मुख्य कथन यही है कि कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित नहीं की गई है तथा डिक्री से पूर्व आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में हमने अपीलाधीन निर्णय एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया । कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री पारित होना नहीं पाया जाता है । उदाहरण के तौर पर आराजी खसरा नम्बर 674 का हवाला कुर्रे रिपोर्ट में है, परन्तु इस खसरा नम्बर की बाबत अंतिम डिक्री पारित नहीं की गई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 741 भी कुर्रे रिपोर्ट में है, परन्तु इस पर भी अंतिम डिक्री पारित नहीं की । रिपोर्ट में जितना रकबा पक्षकारान का बताया गया है, उसके अनुसार रकबा डिक्री में नहीं दिया गया है । जहां तक आपत्तियों के निराकरण करने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की आदेशिकाओं अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 24.7.17 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र पर निर्णय हेतु आगामी पेशी दिनांक 1.8.17 नियत की गई थी। दिनांक 1.8.17 को प्रार्थना पत्र पर पुनः बहस सुनने हेतु आगामी पेशी दिनांक 13.12.17 नियत की गई थी । दिनांक 13.12.17 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र पर निर्णय हेतु दिनांक 10.1.18 नियत की गई थी । दिनांक 10.1.18 को निर्णय हेतु आगामी पेशी दिनांक 25.1.18 नियत की गई थी । दिनांक 25.1.18 को प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। इस प्रकार सिद्ध है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित नहीं किया गया और सीधे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

ही अंतिम डिक्री पारित कर दी गई, जो कि विभाजन के नियमों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । विभाजन के नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के उपरान्त ही तकासमा के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावे । इस प्रकार सिद्ध है कि तहत अदालत द्वारा विभाजन के नियमों की पूर्णतया पालना नहीं की गई है । लिहाजा प्रकरण में विभाजन के नियमों के प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.1.2018 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना कर पुनः अंतिम डिक्री पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दि0 16.04.21 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

8

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर